

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
तारीख में जारी हुए

Form no. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
मदनलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ आदि  
बनाम

भागिरथ पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़  
किरम मुकदमा:- प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :-55/2024 जीसीएमएस नं. 2024/57

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

17.12.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 07.11.2024 को हुई तब दिनांक को नकल प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र कर दिया गया। प्रकरण कृषि भूमि के नामांतरण से संबंधित है। यदि प्रार्थीगण का पक्ष नहीं सुना गया तो प्रार्थीगण को अत्यंत परेशानी व कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में अप्रार्थी के हित निहित है। मियाद प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी सन्तोषप्रद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।


गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत चक 16 एसएलडी ए के इंतकाल संख्या 143 दिनांक 06.06.2024 के विरुद्ध अप्रार्थी भागीरथ द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 24/2024 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम ब अनवान भागीरथ बनाम मदनलाल आदि पेश की गई। प्रकरण में दिनांक 23.10.2024 तारीख पेशी नियत थी। नियत दिनांक को प्रार्थीगण न्यायालय परिसर में उपस्थित थे, मगर प्रकरण में हाजिर होने के लिए प्रार्थीगण को कोई आवाज नहीं लगाई गई तथा प्रार्थीगण को बिना सुने ही एकपक्षीय तौर पर अपीलांट की बहस सुनी जाकर दिनांक 23.10.2024 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर ली गई। प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि मूल अपील प्रकरण में प्रार्थीगण को तलब किया गया था। तलवी उपरांत अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर आये। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस भी सुनी गई है जो मूल अपील की आदेशिका दिनांक 22.10.2024 से साबित है। प्रार्थीगण अब इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल अपील के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। मूल आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा मूल अपील पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि मूल अपील में प्रार्थीगण की विधिवत तलवी उपरांत वकील प्रार्थीगण हाजिर हुए थे। प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही दिनांक 22.10.2024 को नियमानुसार बहस उभय पक्ष सुनी जाकर दिनांक 23.10.2024 को आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य साबित नहीं होने के कारण सारहीन पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.10.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित इस न्यायालय का संबंधित अभिलेख अभिलेखागार को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दीनानाथ बब्लल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़

